प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) की दिनांक– 21.06.2019 को संपन्न 15वीं बैठक की कार्यवाही।

अनुपस्थिति– संलग्न।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

सचिव द्वारा विषय प्रवेश कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण"(BLC), वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक क्षमता संवर्धन प्लान (Annual Capacity Building Plan) आदि विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी दी गयी, तत्पश्चात् सदस्यगण द्वारा बैठक की कार्यावली पर विस्तार से बिन्दुवार विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा योजना कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

1510
03.07.19

प्रस्ताव सं०–1

(क) गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

(ख) गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर समिति के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव सं०–2 **योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" हेतु राज्य के 38 शहरी स्थानीय निकायों के 19333 आवासों के निर्माण हेतु निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदन दिया गया ।**

योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" हेतु राज्य के 38 शहरी स्थानीय निकायों के 19333 आवासों के निर्माण हेतु निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त हुई है, जिस पर State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है। प्रस्तावित 19333 आवासों के निर्माण की कुल परियोजना राशि 70004.79 लाख रूपये है जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

Sl. No.	ULB	No. of Beneficiary	Central Share @ Rs.1.5 Lakh	State Share @ Rs. 0.75 Lakh	Beneficiaries Contribution @ Rs. 1.371 Lakh	Total Project	Unit Cost per DU
1	Adityapur	353	529.50	264.75	483.963	1278.213	3.621
2	Basukinath	200	300.00	150.00	274.200	724.200	
3	Barharwa	495	742.50	371.25	678.645	1792.395	
4	Bundu	40	60.00	30.00	54.840	144.840	
5	Chaibasa	71	106.50	53.25	97.341	257.091	
6	Chakradharpur	211	316.50	158.25	289.281	764.031	
7	Chakulia	196	294.00	147.00	268.716	709.716	
8	Chas	168	252.00	126.00	230.328	608.328	
9	Chatra	39	58.50	29.25	53.469	141.219	
10	Chirkunda	129	193.50	96.75	176.859	467.109	
11	Deoghar	573	859.50	429.75	785.583	2074.833	
12	Dhanbad	1828	2742.00	1371.00	2506.188	6619.188	
13	Domchanch	1018	1527.00	763.50	1395.678	3686.178	
14	Dumka	277	415.50	207.75	379.767	1003.017	
15	Garhwa	225	337.50	168.75	308.475	814.725	
16	Giridih	1365	2047.50	1023.75	1871.415	4942.665	
17	Godda	670	1005.00	502.50	918.570	2426.070	
18	Gumla	623	934.50	467.25	854.133	2255.883	
19	Hazaribagh	1254	1881.00	940.50	1719.234	4540.734	
20	Hussainabad	598	897.00	448.50	819.858	2165.358	

21	Jamtara	330	495.00	247.50	452.430	1194.930
22	Jhumri Tilaiya	1378	2067.00	1033.50	1889.238	4989.738
23	Jugsalai	12	18.00	9.00	16.452	43.452
24	Khunti	329	493.50	246.75	451.059	1191.309
25	Kodarma	189	283.50	141.75	259.119	684.369
26	Latehar	185	277.50	138.75	253.635	669.885
27	Lohardaga	619	928.50	464.25	848.649	2241.399
28	Majhiaon	780	1170.00	585.00	1069.380	2824.380
29	Mango	74	111.00	55.50	101.454	267.954
30	Medininagar	325	487.50	243.75	445.575	1176.825
31	Mihijam	45	67.50	33.75	61.695	162.945
32	Phusro	49	73.50	36.75	67.179	177.429
33	Rajmahal	20	30.00	15.00	27.420	72.420
34	Ramgarh	2381	3571.50	1785.75	3264.351	8621.601
35	Ranchi	442	663.00	331.50	605.982	1600.482
36	Sahibganj	940	1410.00	705.00	1288.740	3403.740
37	Saraikela	111	166.50	83.25	152.181	401.931
38	Simdega	791	1186.50	593.25	1084.461	2864.211
	Total	**19333**	**28999.50**	**14499.75**	**26505.543**	**70004.793**

अतः लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7C) पर वांछित सूचना के साथ–साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार (CSMC) को उपलब्ध कराए जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

<u>प्रस्ताव सं०–3</u> प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक क्षमता संवर्धन प्लान (Annual Capacity Building Plan) पर अनुमोदन दिया गया ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु Annual Capacity Building Plan तैयार किया गया है। वार्षिक क्षमता संवर्धन प्लान की कुल लागत राशि 4630.02 लाख रू० है जिसकी विवरणी निम्नवत् हैं :–

Sl. No.	Activity	State Share	Central Share	Total (Amount in Lakh)
1	Establishment of SLTC	26.85	75.15	102.00
2	Establishment of CLTC	162.0	486.0	648.00
3	Trainings and workshops	0.0	33.35	33.35
4	Exposure Visits	0.0	50.00	50.00
5	Documentations/Research	0.0	5.00	5.00
6	IEC	0.0	97.85	97.85
7	TPQM	33.8	101.4	135.20
8	Social Audit	0.0	5.50	5.50
9	Geo-Tagging (50000 Dus@Rs200/- per DU)	0.0	100.0	100.00
	A= Sub-Total	**222.65**	**954.25**	**1176.90**
10	**B=** A&O and Establishment cost @5 % Of (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	**0.0**	**58.85**	**58.85**
11	**C=** Project Management Consultancy of 256 project (1,00,571 DUs) @ 1.5 % of the total project cost	**848.57**	**2545.70**	**3394.27**
	Grand Total (A+B+C)	**1071.20**	**3558.80**	**4630.02**

(Rs. Fourty Six Crore Thirty Lakh two thousand only)

अतः वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक क्षमता संवर्धन प्लान (Annual Capacity Building Plan) पर भारत सरकार से स्वीकृति के पूर्व SLSMC समिति का अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव सं०–4 बिरसा मुण्डा पार्क स्थित भूमि पर G+4 Model में 175 आवास निर्माण हेतु स्वीकृत DPR के संशोधन पर अनुमोदन दिया गया।

बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क एव करमटोली तालाब के आस–पास वासित लाभुकों के जीवन स्तर में उन्नयत हेतु बिरसा मुण्डा पार्क स्थित भूमि पर G+4 Model में 175 आवास निर्माण की योजना क्रियान्वयन हेतु सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराया गया था, जिसपर कुल रू० 14,36,26,300 (चौदह करोड़ छत्तीस लाख छब्बीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त योजना पर भारत सरकार के CSMC की 28वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

वर्तमान में संशोधित DPR में G+3 Model में कुल 180 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त DPR पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग द्वारा कुल रू० 17,37,01,700/– (रू० सत्रह करोड़ सैतीस लाख एक हजार सात सौ मात्र) पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः किफायती आवास निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित संशोधित परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7B) पर वांछित सूचना के साथ–साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव सं०–5 राज्य के नव गठित 4 नगर निकायों के तैयार Housing For All Plan of Action (HFAPoA) पर अनुमोदन दिया गया।

राज्य के नव गठित 4 नगर निकायों बरहरवा, छत्तरपुर, कपाली एवं डोमचांच, नगर निकायों का Housing For All Plan of Action (HFAPoA) तैयार किया गया है जिसपर संबंधित निकायों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। निकायवार मांग सर्वेक्षण विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No	ULBs	Vertical - I	Vertical - II	Vertical - III	Vertical -IV	Total	HFAPoA Approval Status of state/Ulbs
1	Kapali	225	2	75	189	491	YES
2	Barharwa	0	1	22	1187	1210	YES
3	Chhattarpur	0	0	0	790	790	YES
4	Domchanch	48	0	50	1018	1116	YES
	Total	273	3	147	3184	3607	

अतः HFAPoA भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव सं०–6 योजनान्तर्गत निजी भूमि पर निजी प्रर्वत्तकों के द्वारा निर्मित किफायती आवास क विक्री–दर को निर्धारित करने के संबंध पर अनुमोदन।

योजनान्तर्गत निजी भूमि पर निजी प्रर्वत्तकों के द्वारा किफायती आवास का निर्माण किया जा रहा है जिसपर आवास का अधिकतम विक्री–दर तय करने हेतु विमर्श किया गया। CREDAI से प्राप्त सुझाव के आलोक में निजी भूमि पर निजी प्रर्वत्तकों के द्वारा निर्मित आवासों के अधिकतम बिक्री दर तय करने हेतु अन्य राज्यों यथा राजस्थान, हरियाणा, गुजरात इत्यादि की नीतियों का अध्ययन किया गया। निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में दिनांक 17.06.2019 को सम्पन्न राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में **"निजी भूमि पर निजी प्रर्वत्तकों के द्वारा निर्मित किफायती आवास की बिक्री–दर निजी प्रर्वत्तकों के द्वारा तय किया जाये"** ~~का निर्णय लिया गया~~ एवं "झारखण्ड किफायती शहरी आवासीय नीति, 2016" अन्तर्गत संबंधित कंडिका को संशोधित करते हुए मंत्रिपरिषद की अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजने पर SLSMC समिति की ~~अनुमोदन दिया गया~~ अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

(डी० के० तिवारी)
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 07/न०प्र०नि०/PMAY(HFA)/01/2015....1510.... **राँची/दिनांकः** 03/07/19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।